बनवार लाल

बनाम

राजस्थान राज्य

27 सितंबर, 1984

[वाई. वी. चंद्रचूड़, सी. जे., डी. ए. देसाई और एम. पी. ठाकर, जे. जे.]

उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम 1970 की धारा 2 (ए) उच्चतम न्यायालय का कर्त्तव्य साक्ष्य की प्रशंसा–स्वतंत्र गवाह का साक्ष्य जिसकी पुष्टि एक पहचान परेड में आरोपी की पहचान करने और आरोपी द्वारा पहने गए खून से सने बनियान और खून से सने चाकू की बरामदगी से होती है।

अपीलार्थी पर कन्हैया लाल, राम निवास और बद्री लाल को विद्वान सत्र न्यायाधीश, भीलवाड़ा द्वारा धारा–302 सपठित धारा–34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत चार व्यक्तियों का परीक्षण किया गया। चार में तीन व्यक्तियों को बरी किया गया। केवल एक अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया, जिसका नाम कन्हैया लाल था। माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान द्वारा अपील में कन्हैया लाल की दोषसिद्धि को कन्फर्म किया गया तथा तीन व्यक्तियों में से दो को दोषमुक्त किया गया, जो सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषमुक्ति को अपास्त किया गया और उसे धारा–302 सपठित धारा–34 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। इसलिए उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार), अधिनियम 1970 के तहत अपील।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने,

अवधारित किया : चूँकि उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को दरकिनार कर दिया और अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि –

इस बात पर विचार करें कि क्या साक्ष्य के दो विचार यथोचित रूप से संभव है और क्या उच्च न्यायालय अपीलार्थी के पक्ष में निचली अदालत द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश को दरकिनार करने में उचित था। मामले को देखते हुए और उस दृष्टिकोण से साक्ष्य का आकलन करते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया है। साक्षी बोदु लाल के साक्ष्य को देखते हुए, जैसा कि खून से सना हुआ बनियान और चाकू की खोज से पुष्टि होती है, उपलब्ध नहीं है। वह एक स्वतंत्र और सबसे महत्वपूर्ण गवाह है जिसके साइकिल रिक्शा में अपीलार्थी और सह–अभियुक्त कन्हैया लाल शंकर महाराज के होटल से घटनास्थल तक गए थे। साक्षी बोदू लाल ने अपीलार्थी की पहचान उसके द्वारा घटना के समय पहने गये बनियान जिस पर मानव रक्त लगा हुआ था, पहचान परेड में अपीलार्थी की पहचान स्थापित की, जो आरोपी से बरामद किया गया। उसी व्यक्ति के पास से मानव रक्त लगा हुआ चाकू भी बरामद हुआ, जो उसके अपराध की पुष्टि की। (860 ई–एफ, 861–बी–सी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या–224/1974

माननीय उच्च न्यायालय,राजस्थान के निर्णय व आदेश दिनांकित 08.01.1973 से उद्भुत आपराधिक अपील संख्या 776/1970

योग्य अधिवक्तागण नौनीत लाल व कैलाश वासदेव अपीलार्थीगण की ओर से।

योग्य अधिवक्तागण बी. डी. शर्मा उत्तरदातागण की ओर से।

निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ द्वारा उदघोषित हुआ।

विद्वान सत्र न्यायाधीश, भीलवाड़ा द्वारा चार व्यक्तियों का परीक्षण धारा–302 सपठित धारा–34 भा.दं.सं. में किया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा चार व्यक्तियों में से तीन व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया और केवल कन्हैया लाल को दोषसिद्ध किया गया। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा कन्हैया लाल की सजा बहाल रखी गयी और दोषमुक्त तीन व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों को दोषमुक्त किये गये थे। अपीलार्थी कन्हैया लाल की सजा बहाल की गयी। तीन में से दो को दोषमुक्त किया गया और एक को दोषसिद्ध किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त किया गया और उसे धारा–302 सपठित धारा–34 भा.दं.सं. के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी।

चूँकि माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त कर दिया था। इसीलिए अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। यह आवश्यक है कि इस पर विचार किया जाये कि क्या साक्ष्य के जो विचार यथोचित रुप से संभव है और क्या उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करना न्यायोचित था तथा अपीलार्थी के पक्ष में विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति किया जाना उचित था। मामले के तथ्य व साक्ष्य के मूल्यांकन के दृष्टिकोण से हमारी राय है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा दिये गये विचारण से सहमत होना असंभव है। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अवधारित किये गये दृष्टिकोण के साथ निचली अदालत द्वारा दिये गये कारणों पर विचार किया और दोषमुक्त करने का आदेश एक अच्छे पैमाने पर प्रदर्शित किया है। इसलिए उच्च न्यायालय की साक्ष्य के विश्लेषण पर हम सहमत है।

ज्ञानचन्द्र की हत्या से अभियोजन पक्ष का उदय हुआ। ज्ञानचन्द्र की हत्या दिनाँक–29.09.1968 को समय लगभग रात्रि 08.00 बजे राजस्थान के भीलवाड़ा में हुई। हत्या का उद्देश्य (Motive) यह था कि ज्ञानचन्द्र के भाई नेमीचन्द्र ने अभियुक्त संख्या–3 व 4 रामनिवास व बद्रीलाल से ऋण लिया था और नेमीचन्द्र ऋण के भुगतान से बच रहे थे, जिससे तरफ दोनों भाईयों के बीच कड़वाहट पैदा हो गयी। वहीं दूसरी ओर अभियुक्त संख्या 3 व 4 रामनिवास व बद्रीलाल से भी कड़वाहट पैदा हुई। बाद में यह आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी कन्हैया लाल ने मिलकर ज्ञानचन्द्र की हत्या में मदद की।

अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में कुछ साक्षीगण परीक्षित कराये। यहाँ पर प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अति महत्वपूर्ण साक्षी बोदू लाल अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.2 का साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। वह स्वतंत्र साक्षी है, जिसके साइकिल रिक्शा पर अपीलार्थी व सहअभियुक्त ने यात्रा किया होटल शंकर महाराज से घटना स्थल तक। साक्षी बोदू लाल ने परेड शिनाख्त में पहचान किया। उसके साक्ष्य के अनुरूप अपीलार्थी जो घटना के समय पीले रंग के बनियान पहने हुए था और जब वह गिरफ्तार किया गया तो उसके द्वारा वहीं पीले रंग की बनियान पायी गयी, जिस पर मानव रक्त के निशान मिले। रक्त से सना चाकू भी इन्हीं व्यक्तियों से बरामद हुआ।

उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि साक्षी बोदू लाल के साक्ष्य पर तथा सम्पुष्टिकारक साक्ष्य के रुप में मानव रक्त लगे चाकू व बनियान के आधार पर की। ऐसा साक्ष्य हमें अनुपलब्ध लगता है। इसलिए अपील खारिज की जाती है और उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की जाती है।

एस.आर. **अपील निरस्त**

अनुवाद परीक्षणकर्ता

(मो० शफीक)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बाह्य न्यायालय बांसी, सिद्धार्थनगर
जे०ओ० कोड यू.पी. 6141